[k.M% 2] vad% 12 fnlEcj 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

नागरिकता संशोधन अधिनियम: वाद, विवाद एवं संवाद

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2019

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

नागरिकरता संशोधन अधिनियमः वाद, विवाद एवं संवाद

अनुक्रमिका

सम्पादकीय i

1. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019ः मानवीय एवं ऐतिहासिक संदर्भ में 1–3
– डॉ मनीषा पांडेय

2. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019ः प्रावधान, व्यवधान एवं समाधान 4–6
– राम किशोर

3. नागरिकता संशोधन अधिनियमः एक विवादित तुलनात्मक प्रारूप – रजनी 7–9

4. नागरिकता संशोधन अधिनियमः विखंडन नहीं समावेशन – सृष्टि 10–12

5. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019ः विरोध, हिंसा, राज्यों की प्रतिक्रिया एवं संविधान – शम्भू 13–15

6. धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायः अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पकिस्तान के विशेष सन्दर्भ में – रेखा कुमारी 16–18

7. केंद्र–राज्य संबंध में टकरावः नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में 19–22
– जया ओझा

8. नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के उपरिकेंद्र के रूप में असम 23–26
– काजल

सम्पादकीय

दिल्ली विश्वविज्ञालय के विकासशील राज्य शोध केन्द्र की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के वर्ष 2019 के अंतिम तथा अब तक के सत्रहवें अंक को प्रकाशित करते हुए हमें अत्याधिक हर्ष हो रहा है। शोध केन्द्र की अपनी सांस्कृतिक पूंजी – शोधार्थियां एवं विद्यार्थियों के सहयोग से प्रत्येक माह के समसामयिक विषय पर शाध वास्तविकताओं के लेखीय प्रकटीकरण की हमारी यह पहल संश्लेषण के रूप में गत डेढ़ वर्षों से नियमित रुप से पाठकों के समक्ष प्रेषित हो रही है। जब संपूर्ण विश्व वर्ष 2019 के प्रस्थान की प्रतिक्षा कर रहा था वहीं भारत में इस वर्ष का अंतिम माह अपने राजनीतिक विवादों से जूझ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने से एक बार पुनः विपक्ष एवं विरोधियों को एक नया हथियार मिल गया। स्वतंत्र भारत में विरोध की राजनीति तो घटित होती रही है, किन्तु पहली बार नागरिकता जैसे अनस्तित्व विषय को विवादास्पद विषय के रुप में विपक्ष एवं विरोधियों ने पुरजोर रुप से प्रचारित एवं प्रसारित करने का प्रयास किया। संसद में पूर्ण बहस द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पाकिस्तान, बंग्लादेश तथा अफ़गानिस्तान में अल्पसंख्यकों के नागरिकता अधिकारों को संरक्षित एवं सुरक्षित करने का एक प्रयास था, विपक्ष द्वारा उसे मुस्लिम विरोधी करार देकर उसे अनावश्यक विवादास्पद बनाने का प्रयत्न किया गया।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'नागरिकता संशोधन अधिनियमः वाद, विवाद एवं संवाद' विषय पर लेख आमंत्रित किये। आठ उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल भारत में नागरिकता के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु नागरिकता को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय एवं विचारधारा के मध्य एक संलयन को विश्लेषित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी स्पर्श करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार से प्रभावित अथवा परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदशित करते हैं। संश्लेषण के इस अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम अपने आगामी समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

मंगलवार, 14 जनवरी 2020

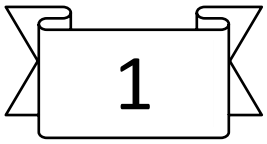

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019: मानवीय एवं ऐतिहासिक संदर्भ में

डॉ मनीषा पांडेय

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

राज्यसभा और लोकसभा में अधिनियम के पारित होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत में अब लागू हो गया है। इस कानून के द्वारा धार्मिक आधार पर हुए भारत के विभाजन के अकल्पनीय विपरीत प्रभावों और उसकी पीड़ाओं को सह रहे लोगों को कुछ राहत मिलने की आशा है। विभाजन के बाद पाकिस्तान (और उसी से बने बांग्लादेश) के गैर मुस्लिमों ने भारत जैसे संविधान की अपेक्षा की थी परन्तु उन्हें एक मुस्लिम राष्ट्र में इस्लामिक कानून के तहत रहने को विवश होना पड़ा।

इस्लामिक कानून के तहत इन देशों के गैर मुस्लिमों को दूसरे और तीसरे दर्जे की नागरिकता के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि स्वतंत्रता की लड़ाई में इनकी भागीदारी भारत के नागरिकों की बराबरी की ही थी। देश का विभाजन इन समुदायों के लिए स्वतंत्रता के नाम पर एक धोखा ही था, जिसमें इन्हें इनकी मर्जी के खिलाफ अंग्रेजों के शासन काल से भी बदतर काल में रहने के लिए छोड़ दिया गया। पाकिस्तान ने पहले तो भारत की तरह ही धर्मनिरपेक्ष रहने की बात की और वहां के गैर मुस्लिमों को भेदभाव ना करने का भरोसा दिया। परन्तु बाद में खुद को एक मुस्लिम देश घोषित कर दिया। विडंबना यह है कि एक तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों ने इन पर विभाजन थोप दिया और दूसरे कि उस समय के पाकिस्तान सरकार द्वारा इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करने का सारा आश्वासन कुछ ही वर्षों में पूरी तरह से झूठा साबित हो गया।

पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद पूर्वी पाकिस्तान जब नए रूप में आकर बांग्लादेश बना तो गैर मुस्लिमों की उम्मीदों पर फिर से कुठाराघात हुआ, चूंकि बांग्लादेश ने भी अपने आप को एक मुस्लिम देश घोषित कर दिया। इस्लामिक कानून के तहत वहां रह रहे गैर मुस्लिम बराबरी के हक से फिर से वंचित हो गए। हिन्दू विवाह को कानूनन विवाह मानने का विधेयक भी पाकिस्तान में कुछ वर्ष पूर्व ही 2016–17 में पास हुआ, जिससे यह पता चलता है कि हिन्दू

विवाह की कानूनी मान्यता तक वहां कुछ वर्ष पहले तक नहीं थी। नौकरियों में, व्यवसायों में और ऐसे ही अन्यान्य सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम हमेशा से इन देशों में उपेक्षित रहे।

ऐतिहसिक परिपक्ष्य में यह सत्य है कि भारत के विभाजन से पूर्व पाकिस्तान के गैर–मुस्लिमों के पास भारत की ही नागरिकता थी। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान पहले तो सभी नेताओं ने इन्हें आश्वस्त भी किया था कि किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं होगा। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि विभाजन उनकी लाश पर ही संभव होगा। हालांकि इस सबके बाद भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया। इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर जो भी गैर–मुस्लिम समर्थ थे वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आने लगे। जो लोग अफगानिस्तान सीमा के करीब थे वो लोग अफगानिस्तान में ही शरणार्थी बनकर चले गए। मगर अफगानिस्तान में तालिबानी काल में पाकिस्तानी प्रभाव में ये लोग वहां भी प्रताड़ित होने लगे।

वैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो आर्थिक रूप से असमर्थ, पिछड़े और दलित हिन्दुओं को आगाह भी किया था कि पाकिस्तान जिन मूल्यों पर बन रहा है उन मूल्यों की वजह से उस देश में गैर मुस्लिम हमेशा प्रताड़ित ही होते रहेंगे। उन्होंने असमर्थ, पिछड़े और दलित हिन्दुओं से किसी भी तरह भारत आने की अपील की थी क्योंकि उन्हें पता था कि उन सबका हित केवल भारत में ही सुरक्षित रह पाएगा। किंतु इसके बावजूद भी जो लोग अपनी असमर्थता की वजह से वहीं रह गए उन्हें एक मुस्लिम देश में रहने की पीड़ा सहनी पड़ी। उसी दौरान लियाकत – नेहरू समझौते के तहत पाकिस्तान ने यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ कोई भी भेद भाव नहीं किया जाएगा इसीलिए उन्हें पाकिस्तान छोड़ने की जरूरत ही नहीं है।

इस समझौते के बाद तो गैर–मुस्लिमों को भारत आने से रोका तक जाने लगा। मगर अब लगता है कि लियाकत – नेहरू समझौता पाकिस्तान की एक चाल थी क्योंकि उसे एक इस्लामिक देश के तौर पर शोषण करने के लिए पिछड़े और दलित हिन्दुओं की जरूरत थी। ये असमर्थ और दलित वर्ग पाकिस्तान में शोषण और प्रताड़ना का शिकार होते रहे और कालांतर में किसी बहाने से या फिर किसी और प्रकार से भाग कर भारत आते रहे। आज ये शरणार्थी किसी भी अवस्था में वापस पाकिस्तान जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

इस कानून के द्वारा इन्हीं पीड़ितों और लाचार अल्पसंख्यकों को, जो विभाजन से पहले भी भारत के ही नागरिक थे, फिर से भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार को यह ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि इस कानून की वजह से किसी एक प्रांत या क्षेत्र पर शरणार्थियों का अतिरिक्त भार ना पड़े, जिससे कि वहां के स्थानीय लोगों की सभ्यता या जीवन शैली पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे। उपरोक्त सभी विषयों की गंभीरता पर विचार न करने वाले इस बात की गम्भीरता से परे इस कानून का विरोध करने वाले या तो इतिहास से अनभिज्ञ हैं या फिर उनका उद्देश्य धार्मिक या वचारिक उन्माद से उत्पन्न करना है।

धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए इन शरणार्थियों के पक्ष में समय–समय पर लोकसभा और राज्यसभा में सवाल भी उठते रहे हैं। इनके पक्ष में पिछले वर्षों में वामपंथी पार्टियों और भाजपा के नेताओं के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा बढ़चढ़कर इनको नागरिकता देने की वकालत की थी। इसी कारण से राज्यसभा में भाजपा के अल्पमत होने पर भो ये विधेयक सुगमता से पारित हो पाया। मगर कोरे राजनीतिक कारणों से आज भाजपा और उसका समर्थन कर रही पार्टियों को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन राजनीति से परे हटकर सिर्फ मानवीयता के आधार पर जिस प्रकार से सरकार इस कानून को लागू करने में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन कर रही है यह सराहनीय तो है ही अपितु, देश में आने वाली कई पीढ़ियां मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु इस ऐतिहासिक कदम के लिए इस सरकार के साहस की प्रशंसा भविष्य में भी करती रहेंगी।

♦♦♦♦♦

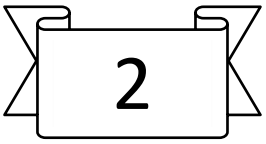

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019: व्यवधान, प्रावधान एवं समाधान

राम किशोर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद मोदी सरकार को संसद में दूसरी बड़ी सफलता तब मिली जब मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक (सी.ए.बी.) को दोनों सदनों से पारित करा लिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (सी.ए.बी.) अब नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सी.ए.ए.) बन चुका है। लेकिन संसद से पारित हाने के बाद भी इस कानून के विषय में चर्चा समाप्त नहीं हुई है। इस कानून के विरोध में देश के कई भागों में विरोध–प्रदर्शन हो रहे हैं।

इसकी शुरुआत हुई पूर्वोत्तर भारत से विशेष रूप से असम में इसे लेकर बड पैमाने पर विरोध–प्रदर्शन हुए। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (जे.एम.आई.) में भी विरोध प्रदर्शन हुए। इस कानून में क्या है? जो तद्विषयक विवाद इतना बढ़ गया है। इस कानून के अनुसार पड़ोसी देशों से शरणार्थी के रूप में भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

यद्यपि कानून बनने से पूर्व बिल के प्रति विपक्ष ने बहुत कड़ा रुख अपनाया था और इसे संविधान की भावना के विपरीत बताया था। परिणामस्वरूप भारत के पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन कान्न को लेकर विरोध प्रारंभ हो गया। जबकि इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गैर–मुसलमान अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नियमों में ढील देने का प्रावधान है।

इस बार भले ये कानून बन गया हो लेकिन इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने राज्य सभा एवं लोक सभा में इसे पास कराने की कोशिश को थी। मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल के दौरान 2019

में वर्ष 8 जनवरी को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका था, लेकिन इसके बाद पूर्वोत्तर में इसका हिंसक विरोध शुरू हो गया, फलतः सरकार ने इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया। सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने के साथ ही यह विधेयक स्वतः समाप्त हो गया।

मई 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार का द्वितीय कार्यकाल प्रारंभ होते ही अनुच्छेद 370 सहित कई अन्यबड़े फैसले लिए गए और अब नागरिकता संशोधन विधेयक भी कानून बन गया है। संसद में इसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने से पहले ही पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। वैसे तो नागरिकता संशोधन कानून का असर पूरे देश में हो रहा है लेकिन इसका विरोध पूर्वोत्तर राज्यों विशेषतः असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अधिक हुआ। जब छात्रों ने इसका विरोध प्रारंभ किया है, तो इसकी आंच देश के अलग–अलग विश्वविद्यालयों तक पहुंची।

उपरोक्त राज्यों में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 विरोध इस बात का कारण रहा है कि यहां कथित तौर पर पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या में अवैध तरीके से आकर बस जा रहे हैं। विरोध इस बात का है कि वर्तमान सरकार हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की प्रयास में प्रवासी हिंदओं को भारत की नागरिकता दकर यहाँ बसना आसान बनाना चाहती है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजिका

सरकारी पक्ष से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया, उसमें दो विशेष पहलू थे– पहला, गैर–मुसलमान प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना और दूसरा, अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापसो भेजना, जिनमें अधिकतम मुसलमान हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने 20 नवंबर को सदन को बताया था कि उनकी सरकार दो अलग–अलग नागरिकता संबंधित पहलुओं को लागू करने जा रही है, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) और दूसरा पूरे देश में नागरिकों की गिनती जिसे राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका (एन.आर.सी.) के नाम से जाना जाता है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) में धार्मिक उत्पीड़न के कारण से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एन.आर.सी.) के अनुसार 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले अवैध निवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मूलरूप से राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एन.आर.सी.) को उच्चतम न्यायालय की ओर से असम के लिए लागू किया गया था। इसके अंतर्गत अगस्त के माह में असम के नागरिकों की एक पंजिका लागू किया गया। प्रकाशित पंजिका में लगभग 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया था। जिन्हें इस सूची से बाहर रखा गया उन्हें वैध प्रमाण पत्र के साथ अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी थी।

यद्यपि, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि नई राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एन.आर.सी.) प्रक्रिया में असम फिर से शामिल होगा। पूर्वोत्तर में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बावजूद नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा आगे क्यों बढ़ी, इसका मुख्य कारण इस संपूर्ण क्षेत्र में सत्तासीन दल को मिली चुनावी सफलता है। जब केंद्र सरकार अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान इस विधेयक को पास करवाने की कोशिश में लगी थी तब पूर्वोत्तर में कइ समूहों ने बीजेपी का विरोध किया था। लेकिन जब 2019 के चुनाव परिणाम आए ता पूर्वोत्तर में बीजेपी और इसके सहयोगी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। समूचे पूर्वोत्तर की 25 संसदीय सीटों में से बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 18 पर जीत मिली। बीजेपी को इस बात की आशा है कि हिंदुओं और गैर–मुसलमान प्रवासियों को आसानी से नागरिकता देने की वजह से उसे बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का समर्थन मिलेगा।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या और इसकी संवैधानिकता का परीक्षण करने के लिये संविधान के संरक्षक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय अब इस बात का भी परीक्षण करेगा कि क्या अनुच्छेद 14 का परीक्षण किया गया है या नहीं, अधिनियम में किया गया वर्गीकरण उचित है या नहीं। भारतीय नागरिकता के मौलिक कर्तव्यों में अपने पड़ोसी देशों में पीड़ित लोंगों की सुरक्षा करना शामिल है या नहीं। लेकिन सुरक्षा काय संविधान के अनुसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के लोगों को यह समझाने के लिये और अधिक रचनात्मक ढंग से प्रयास किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र के लोगों की भाषायी, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतीकों का संरक्षण किया जाएगा।

♦♦♦♦♦

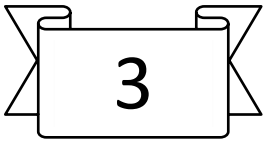

नागरिकता संशोधन अधिनियमः एक विवादित तुलनात्मक प्रारूप

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

1950 में लागू किया गया भारतीय संविधान देश के सभी निवासियों को संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की प्रतिबद्धता देता है और धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर जो 2019 को पारित किया गया था। 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इन अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। धार्मिक अल्पसंख्यक, जो दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में होने वाले उत्पीड़न से बच गए थे। उन देशों के मुसलमानों को इस तरह की पात्रता नहीं दी गई है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार धर्म को भारतीय कानून के तहत नागरिकता के लिए एक कसौटी के रूप में लेकर संशोधित किया गया। नागरिकता में संशोधन कई प्रकार से देखा जाता है–

1. अनुच्छेद 11–संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।
2. नागरिकता संशोधन अधिनियम– 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015।
3. 1955 के प्रावधान में 11 वर्ष भारत में निवास।

नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर– 1 जुलाई 1947 या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि ही उसके जन्म के समय उसके माता–पिता भारत के नागरिक हों। इसमें कई वर्गो के आधार पर नागरिकता दर्शायी गई है जैसे– वंश व रक्त संबंध के आधार पर– (1) भारत से बाहर जन्में व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। (2) माता–पिता में से एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक। (3) उस बच्चे का पंजीकरण एक वर्ष के भीतर कराना भी अनिवार्य। पंजीकरण के आधार पर–

1. कोई व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
2. इच्छित शक्ति के भारतीय नागरिक से विवाह की अनिवार्यता।
3. आवेदनकर्ता को आवेदन से पहले भारत में सात वर्ष रहना आवश्यक।

क्षेत्र समाविष्टी के आधार पर नागरिकता–

1. किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर वहां के लोगों को भारत नागरिकता का अधिकार।
2. हैदराबाद, गोवा और पांडिचेरी के लोगों को भारत में शामिल होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई।

भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986– असम राज्य में अवैध प्रवासियों को निर्धारित प्रारूप में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992– भारत से बाहर पैदा हुए बच्चों के लिए नागरिकता के आधार में परिवर्तन हुए। मूल कानून में केवल पिता के भारतीय नागरिक होने पर ही नागरिकता प्रावधान का था किंतु वर्ष 1992 के संशोधन ने माता की नागरिकता को पिता के समकक्ष अधिकार दिया गया। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003– प्रवासी भारतीयों और विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगां की दोहरी नागरिकता से जुड़ा था। 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधान– अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसो और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यको को 11 वर्ष की अपेक्षा केवल 5 वर्ष भारत में निवास करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। यह उपरोक्त अवैध प्रवासियों को लाभ प्रदान करता है। उन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत निर्वासन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1955 का अधिनियम कुछ शर्तों को पूर्ण करने पर नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करेगा जो कि आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले तक का हो, जिसमें 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में निवास करना आवश्यक। मौजूदा विधेयक 11 वर्ष की शर्त को कम करके 5 वर्ष करने का प्रावधान और ओसीआई के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान करता है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के उद्देश्य–

1. नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार साक्ष्य देने में असमर्थ लोगो को लाभ।
2. देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक।

देशीकरण की लंबी प्रकिया के कारण से नागरिकता लाभ से वंचित लोगों को राहत।

परंतु भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 विवादों के घेरे में लिप्त है। हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), ने पिछले चुनाव घोषणापत्र में पड़ोसी देशों से पलायन कर चुके उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। 2019 संशोधन के अनुसार, जिन प्रवासियों ने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया था और

अपने मूल देश में जिन्हे ''धार्मिक उत्पीड़न'' का सामना करना पड़ा था, उन्हें नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, इस बिल से तत्काल 30,000 से अधिक प्रवासी लाभार्थी होंगे। संशोधन की व्यापक रूप से धर्म के आधार पर भेदभाव के रूप में आलोचना की गई है, विशेष रूप से मुसलमानों को छोडने के कारण्। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के लिए कार्यालय (**OHCHR**) ने इसे 'मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण' कहा, यह कहते हुए कि भारत के 'सताए गए समूहों की रक्षा का लक्ष्य स्वागत योग्य है', यह एक गैर–भेदभावपूर्ण 'मजबूत राष्ट्रीय शरण प्रणाली' के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।

आलोचक इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि बिल का उपयोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के साथ किया जाएगा, जिससे कई मुस्लिम नागरिकों को स्टेटलेस रेंडर किया जा सकेगा, क्योंकि वे कड़े जन्म या पहचान प्रमाण की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। टिप्पणोकार तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रों से उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठाते हैं। भारत सरकार कहती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इस्लाम को अपना राज्य धर्म माना जाता है और इसलिए वहां मुस्लिमों को 'धार्मिक उत्पीड़न' का सामना करने की संभावना नहीं है' हालाँकि कुछ मुस्लिम समूहों जैसे कि हजार और अहमदी जैसे लोगों ने ऐतिहासिक रूप से इन देशों में उत्पीड़न का सामना किया है। कानून पारित होने से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों ने इस आशंका के खिलाफ बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों हुए। भारत के कई विश्वविद्यालयों में अधिनियम के खिलाफ प्रमुख विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ राज्यों ने घोषणा की है कि वे अधिनियम को लागू नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को सी.ए.ए के कार्यान्वयन को रोकने के लिए कानूनी शक्ति का अभाव है और यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन नहीं करता है। सरकार का तर्क है कि राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करता है और न ही राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद करता है। विदेशों में हुई बैठको में भी भारत के द्वारा लिए गए इस निर्णय पर प्रंशसा व्यक्त करते हुए कहा है कि हर देश में सी.ए.ए का होना समय की मांग है जिसमें विकास का दृष्टिकोण होना चाहिए।

♦♦♦♦♦

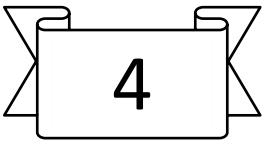

नागरिकता संशोधन अधिनियमः विखंडन नहीं समावेशन

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

नागरिक संशोधन विधेयक, हिन्दू सहित पाँच अन्य धर्मों से संबंधित पाकिस्तान, बांग्लादश एंव अफगानिस्तान से आए शरणाथियों को नागरिकता प्रदान करता है, किंतु मुसलमानों को छोड़ देता है। भय इस बात का है, जब विधेयक लाने वाले देश के गृहमंत्री ने पुरजोर आवाज में संसद में कहा कि 'राष्ट्रीय नागरिक पंजिका सम्पूर्ण देश में लागू होगा और नागरिकता सिद्ध करने के लिए कागजात दिखाने होंगे और न होने पर उन्हें नजरबंदी शिविर में भेज दिया जाएगा। परंतु वास्तविकता यह है कि अधिकांश निर्धन हिन्दू हो या मुसलमान, मदरसे या पाठशाला में नहीं गया है, ना ही उसके पास आधार कार्ड व पहचान पत्र है। उसे तो अपनी उम्र भी ठीक से पता नहीं होगी'। ये सभी भय निर्मूल है। यह अच्छा कानून है, जो प्र्ण रूप से संविधान सम्मत है, किंतु अहंकार में सरकार व विशेषकर गृहमंत्री अमित शाह ने दो गलतियां की। पहली : सम्पूर्ण विश्व के लोकतंत्र में एक व्यावहारिक सिद्धांत है कि विवादास्पद या जटिल कानून लाने से पूर्व जनमत तैयार किया जाता है व लोगों को उन प्रावधानों के बारे में पहले से अवगत कराया जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। दूसरी : असम में 1600 करोड़ रूपये लगा कर तैयार किया गया एन.आर.सी असफल रहा, क्योंकि उसमें माता–पिता का नाम है, किन्तु पुत्र का नाम नहीं है, अर्थात् वह नागरिक नहीं है। ऐसे में इस प्रक्रिया को सम्पूर्ण देश भर में लागू करने की घोषणा संदेह को जन्म देता है।

ध्यान देने वाली बात है कि पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं सुनने के पश्चात भारत का कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनकी सहायता की जाए। चूंकि यह अत्याचार चूंकि धर्म के आधार पर किया जा रहा है, इस कारण सरकार के पास उन्हें भारत में शरण देकर नागरिक घोषित करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। अतः यह संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्ष आत्मा का प्रश्न नहीं है। संविधान "हम भारत के लोग" अर्थात् सभी भारतीयें के लिए है और यहाँ विषय दूसरे संप्रभु देशों का है। इतिहास की एक दुर्घटना में सकड़ों वर्षों से एक

साथ रहने वाले धर्म विशेष के लोगों ने उसी भूमि में अलग से एक संप्रभु देश का निर्माण किया और जब वह देश बना तो वादा यह था कि दोनों देश अपने–अपने नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, समान भाव से देखेंगे। 11 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में देश के जन्मदाता जिन्ना द्वारा दिए गए भाषण के एक अंश में कहा गया है कि म हिन्दू–अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उनका महा–सुरक्षाकार बनूँगा। अल्पसंख्यक चाहे वह किसी भी धर्म के हो, स्वतत्र रूप से अपने पूजा–स्थलों पर जाए और अपने धर्म का अनुपालन करें। किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान को 1956 में संविधान बनाने के साथ इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया था। आर विश्व को दिया हुआ वह आश्वासन टूट गया। भारत की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान भी 1971 में पाकिस्तान से पृथक हुआ और 1972 में संविधान बनाया गया, किंतु 1988 मे 5वें संविधान संशोधन के अनुसार इस देश को भी पूर्ण रूप से इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया गया। किंतु वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में इस संशोधन को अवैध करार दिया, परंतु इस्लाम राज्य के धर्म के रूप में रहा।

देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में तो जिन्ना के मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, किन्तु भारत में हिन्दू राष्ट्र बनवाने की हिन्दू महासभा–आरएसएस की पहल को राष्ट्रीय आंदोलन के समावेशी राष्ट्रवाद की उस परंपरा ने हरा दिया, जिसके लिए सबसे अडिग गांधी जी थे। आज, केंद्र में सत्ता पर अपने नियंत्रण के चलते सावरकर–गोलवालकर की वही धारा गांधी को हराने के मार्ग पर शीघ्रता से बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर, अल्पसंख्यकों की दशा की चिंता पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश पर ही समाप्त हो जाती है एंव श्रीलंका, नेपाल व म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की दशा में उनकी कोई रुचि प्रकट नहीं होती, क्योंकि यहाँ "मुसलमानों द्वारा उत्पीडन" का वृतांत नहीं है।

जहां तक संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार के उल्लंघन का प्रश्न है, इसी अनुच्छेद के तहत राज्य को यह अधिकार भी है कि किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए वह एक वर्ग (क्लास) उत्पन्न कर सकता है और उसे अलग सुविधाएं दे सकता है किंतु उस "क्लास" को बनाने का आधार तार्किक हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकतर निर्णयों में समय–समय पर कहा है कि सरकार एक व्यक्ति के लिए भी कानून बनाती है। यहाँ मोदी सरकार ने धर्म के आधार पर पीड़ित किए जाने वाले तीन देशों के अल्पसंख्यकों को लकर एक "क्लास" बनाया।

वास्तव में, नागरिक संशोधन अधिनियम किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, अपितु यह अफगानिस्तान , बांग्लादेश एंव पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताडित शरणाथिर्यों को नागरिकता प्रदान करने वाला कानून है। इसलिए कहा जा सकता है कि इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जबकि बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को भारत से वापस बुलाने के लिए सूची मांगी है तो असमियों को यह भय नहीं होना चाहिए कि बांगलादेशी मुसलमान उन पर थोप दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब बांग्लादेशी मुसलमान अपने देश वापस चले जाएंगे, तो घुसपैठियों को समस्या ही नहीं रह पाएगी।

इसलिए भारत सरकार को तुरंत बांग्लादेश को सूची सौंप देनी चाहिए। देश भर में विरोध प्रदर्शन से जान–माल का अधिक नुकसान हो चुका है, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य देशों में हमारे देश आर सरकार को लेकर अनेक भ्रांतियाँ पैदा हो रही है। असंतोष व आक्रोश की परिस्थिति अभी भी बनी हुई है। इस पृष्ठभूमि स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट घोषणा करें कि एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा और यदि कराया भी जाएगा तो उसके लिए किसी भी नागरिक को अपने पिता–दादा का जन्म प्रमाण पत्र नहीं, अपितु कोई भी पहचान पत्र यथा पासपोर्ट, ड्राविंग लाईसैन्स या आधार कार्ड आदि देना होगा।

केंद्र सरकार को यह घोषणा भी करनी चाहिए कि जिन शरणाथिर्यों को नागरिकता दी जाएगी उन्हें असम या अन्य किसी भी पूर्वोत्तर राज्य में ही नहीं, किन्तु देश के सभी प्रदेशों में बसाया जाएगा। अतएव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बार– बार कह चुके हैं कि नागरिक संशोधन अधिनियम से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नागरिकता देना वाला कानून है, लेने वाला नहीं परंतु विरोध प्रदर्शन अभी भी हो रहे है। इसलिए सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि नागरिक संशोधन अधिनियम अवश्य लागू होगा, परंतु एनआरसी नहीं बनाया जाएगा।

♦♦♦♦♦

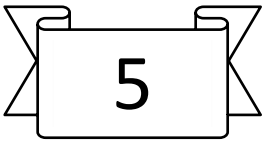

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019: विरोध, हिंसा, राज्यों की प्रतिक्रिया एवं संविधान

शम्भू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविधालय

दिनांक 11 जनवरी, 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम प्रारंभ से ही विरोध–प्रदर्शन और हिसंक प्रदर्शन से घिरा नजर आया। अधिनियम बनने से पूर्व नागरिकता संशोधन विधेयक जब ससंद में प्रस्तावित किया गया था, तभी से देश में विरोध प्रदर्शन का दौर आरंभ हो चुका था। भारत सरकार द्वरा लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में देश के कई राज्यों में हिसंक प्रदर्शन देखने को मिले। अधिकतर प्रदर्शन उत्तर–पूर्वी राज्यो, पश्चिम बगांल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में गंभीर हिसंक प्रदर्शन हुए, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति और जान–माल को भारी नुकसान हुआ।

विश्वविद्यालयों के छात्रों से लेकर आम–जनता और विपक्षी राजनीतिक दल भारत सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतर आयें, हिसंक प्रदर्शन किए गए, सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिगस्त किया गया और आगजनी की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति आम–जनता और राजनीतिक दल के विचार दो भागों में विभक्त प्रतीत हुए। एक ओर जहाँ इस अधिनियम का समर्थन और स्वागत किया गया तो वही दूसरी ओर इस अधिनियम को असवैधानिक और असमानता पर आधारित मानते हुए इसका विरोध किया जा रहा था।

ससंद द्वारा पारित इस अधिनियम का राज्यों की सरकार ने विरोध किया और बयान जारो कर कहा कि वह अपने शासित राज्यों मे इसे लागू नहीं करेंगें। पश्चिम बगांल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस अधिनियम का प्रारंभ से ही विरोध किया और प्रदर्शनों व भारत बंद के माध्यम से लगातार विरोध जारो रखा। अधिनियम के दुष्प्रभावों से आम–जनता का अवगत कराने के लिए सड़कों पर उतर गई और पश्चिम बगांल में अधिनियम के विरोध में मोचा खोल दिया और इस

अधिनियम को अपने शासित राज्य मे लागू करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ममता बनर्जी की तरह अन्य गैर–भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियो ने भी अपने शासित राज्यों में इसे लागू करने से मना कर दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में विपक्षी राजनीतिक दलों ने भारत बन्द का ऐलान किया, इस अधिनियम को पश्चिम बगांल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और कुछ अन्य गैर–भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस अधिनियम को अपने शासित राज्यो में लागू करने से मना कर दिया। यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि विपक्षी राजनीतिक दल, छात्र, आम–जनता और विशेष समुदाय वर्ग नागरिकता संशोधन अधिनियम से असंतुष्ट नज़र आए। राजनीतिक दलों द्वारा अवसरवाद की राजनोति ने भी इस अधिनियम के विरोध हेतु आम–जनता को आक्रोशित करने का कार्य किया और भ्रान्तियों को फैलाकर आम जनता को भटकाने का अनैतिक कार्य किया गया। भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर जनता को जागरूक करने और भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास किया गया। प्रशासन द्वारा शान्ति की अपील की गई और राज्यों में स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विराध में गैर भाजपा सरकार शासित राज्यों की सरकार ने बयान दिया कि वह अपने शासित राज्यों मे इसे लागू नहीं करेंगे। गैर भाजपा शासित राज्य केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पारित किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री केप्टन अमरिंद्रर सिंह, छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल और झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम को अपने शासित राज्यों में लागू करने से मना कर दिया। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद ही इसे महाराष्ट्र मे लागू करने की शर्त रखी।

अतः अब प्रश्न यह उठता है कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को राज्य सरकार अपने राज्य मे लागू करने से मना कर सकती है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपर्ण हैं क्योंकि जिस प्रकार से गैर–भाजपा शासित राज्यों की सरकार ने नागरिकता सशोधंन अधिनियम को अपने शसित राज्यों में लागू करने से इंकार कर दिया, क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करना उचित होगा, क्या यह वैधानिक रूप से मान्य होगा, क्या भारत का संविधान इसकी

अनुमति देता है, क्या भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह केन्द्र सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने से इंकार कर सकती ह।
संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा अपने शासित राज्यों में लागू करने से इन्कार करना भारत की संघीय व्यवस्था के प्रतिकुल प्रतीत होता है। यह प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है, यह संविधान के विरूद्ध है, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् नागरिकता संशोधन अधिनियम सभी राज्यो पर बाध्य है, इसे लागू करना राज्यों के अनिवार्य है। क्योंकि संविधांन में नागरिकता का विषय केन्द्र सूची में आता है और नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ह, राज्यों को नागरिकता के विषय पर अधिकार प्राप्त नहीं है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम पर राज्य सरकार के विरोध और व्यवहार को देखकर केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसार राज्यों के पास नागरिकता से सबंधित मामलों पर चयन का कोई विकल्प नही है, क्योंकि नागरिकता का विषय केन्द्र सूची में है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास है। नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले राज्यों की सरकार का मानना कि केन्द्र सरकार (बी.जे.पी) भारत की धर्मनिपेक्षता को संकट में डाल रही है, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करन का एक वैधानिक मार्ग प्रदान करता है। जो असमानता को बढावा देता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर–मुस्लिम अल्पसख्यकों (अप्रवासी) को भारत की नागरिकता प्रदान करने का एक मार्ग है।

अतः विपक्षी राजनोतिक दलों का आरोप है, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संवैधानिक समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकार अपने शासित राज्यों में इसे लागू नही करेंगे, और आम जनता के साथ विरोध प्रदर्शनो में शामिल होकर सरकार का विरोध करेंगे। इन सभी तथ्यों के बीच यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि ससंद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम सभी राज्यो पर अनिवार्य रूप से लागू होगा, राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। राज्यों पर केन्द्र की बाध्यता के, संविधान के अनुसार निम्नलिखित कारण हैः–

- भारत की संघीय व्यवस्था

♦♦♦♦♦

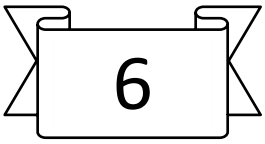

6

धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायः अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पकिस्तान के विशेष सन्दर्भ में

रेखा कुमारी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

"पकिस्तान में रहने वाले हिन्दू और सिख, हर नजरिये से भारत आ सकते हैं, अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते हैं। उस स्तिथि में, उन्हें नोकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है।" –26 सितम्बर,1947 को प्राथना सभा में खुले तोर पे घोषणा

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, को उस एतिहासिक भूल के प्रायश्चित के रूप में देखा जा सकता है जो हमारे राजनेताओं द्वारा भारत विभाजन के समय की गयी थी। जेसा कि हम सभी जानते है भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। और पूर्व और पश्चिम पकिस्तान (मुस्लिम बहुल वाले राज्य) में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यको को प्रारभं से ही धर्म के आधार पर लगातार उत्पीडन का सामना करना पड़ रहा था। विभाजन के दोरान भारत ने इन अल्पसंख्यको को आश्वासन देते हुये कहा था की यदि उनके मूल देश नेहरु–लियाकत संधि के तहत उन्हें दायित्व के अनुसार सुरक्षा देने में विफल रहते है तो भारत उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। तत्कालीन सरकार द्वारा लाया गया यह अधिनियम अपने उसी वादे को पूरा करते हुये पकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित उन अल्पसंख्यको को देश की नागरिकता देने की बात करता है। यह लेख इन तीनों देशो में उपस्थित अल्पसंख्यक समुदायों की सामजिक, आर्थिक और राजनितिक स्तिथि पर केन्द्रित है जो कही न कही उन अल्पसंख्यको को नागरिकता क्यों देनी चाहिए, के ओचित्य को बताता है।

धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायः दशा और दुर्दशा

धार्मिक आधार पर भेदभाव एक शर्मनाक और मानवता के विरुद्ध किया गया कृत्य है किसी भी राष्ट में इस प्रकार की स्तिथि उस राष्ट्र के मानवीय मूल्यों का ह्रास करती हैं। वास्तविकता तो ये है की धार्मिक रूप से उत्पीडन का यह बेहद ही शर्मनाक व मानवता विरोधी कार्य बेहद ही क्रूरता से अफगानिस्तान, बंगलादेश, और पकिस्तान में आये दिन होता रहता है। अगर इन

धार्मिक रूप से विस्थापित अल्पसंख्यक समुदायों पर विचार किया जाये तो इनकी स्तिथि बहुत ही चिंताजनक है। अफगानिस्तान जो एक इस्लामिक राज्य है यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक होने का आधार धर्म, जाति, व भाषा है। यद्यपि विभिन्न मतों में विश्वास रखने वाले समुदायों को निजी रूप से अपने घर में इसके पालन की अनुमति हैं। यहाँ की यदि जनसंख्या देखो जाये तो 84.7–89.7 प्रतिशत सुन्नी मुस्लिम है तो वहों सिया मुस्लिमो की संख्या 10–15 प्रतिशत है वहीं अन्य अल्पसंख्यक जिसमे की हिन्दू और सिख आते है वो इस देश जी जनसँख्या का मात्र 1 प्रतिशत है। वहीं इन हिदू और सिख समुदायो का उत्पीडन पिछले कुछ वर्षो में तेजी से बढ़ा है और इन्हें अपने देश से बलपूर्वक निकाला भी गया है।

यद्यपि अफगान राजनेताओं द्वारा हिन्दू और सिख अल्पसंख्यको से हजारो वादे किये जा रहे है कि इनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा और इनके साथ अन्य अफगानी नागरिको के जैसा व्यवहार किया जाएगा तथा इन्हे भी कानून के समान संरक्षण प्राप्त होगा। परन्तु ये मात्र कहने की बात है वास्तविकता इससे कोसो दूर है। वहीं अगानिस्तान के सविधान में अल्पसंख्यक शब्द तथा इस से संबधित किसी भी अनुछेद की अनुपस्थिति यहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों को बेहद ही खराब व आलोचनीय स्तिथि मे पहुचा देती हैं।

वहीं बंगलादेश में इन अल्पसंख्यक समुदायों की स्तिथि और भी चिंताजनक है जो यहाँ पर पिछले 45 वर्षो से अपने मानवाधिकारों और धार्मिक अधिकारों के हनन की मार झेल रहे है 1947 में भारत के विभाजन के समय से ही बंगलादेशी अल्पसंख्यक समुदाय यहा पर व्यवस्थित ढंग सफाए की प्रक्रिया से गुजर रहा है और यही कारण है को 1951 में इनकी जनसँख्या जहां 23 प्रतिशत थी वो 2017 में मात्र 9 प्रतिशत ही रहा गयी है। बांग्लादेश के बहुत से जिलों में हिन्दू जनसँख्या में तेजी से कमी आई है। घरों को लूटना और जलाना, हिन्दू मंदिरों व उनके देवी देवताओं को तहस–नहस कर देना, हत्या, बलत्कार, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, गैर–कानूनी ढंग से हिन्दुओ की सम्पति पर अतिक्रमण एसी घटनाएं है जो आये दिन बंगलादेशी हिन्दू और सिख अल्पसंख्यको को झेलनी पड़ती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यको की सिकुड़ती जनसँख्या जो 1972 में 20 प्रतिशत थी और अब मात्र 10 प्रतिशत ही रहा गयी है। लगभग 49 मिलियन हिन्दू गायब है। वे कहा है? अब यदि पकिस्तान की तरफ ध्यान किया जाए ता यहाँ भी धार्मिक रूप से उपस्थित अल्पसंख्यको की स्तिथि भी दयनीय और चिंताजनक है। बहुत से समुदाय जैसे कि हिन्दू, इसाई और अह्मदिस, पाकिस्तानी समाज में रहने की वजह से बहुत सी चुनोतियो का सामना कर रहे है। आधारिक स्तर पर इनकी स्तिथि अत्यधिक ही गम्भीर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय

अल्पसंख्यक अधिकार समूह (MRG) की 2008 की एक वार्षिक रिपोर्ट में उन लोगों को रेंकिग की गयी जो भय की स्तिथि में रहते है। यह जानकार आपका बिल्कुल भी हेरानी नही होगी कि पकिस्तान एसी स्तिथि वाले 10 देशों में से पहले स्थान पर था जहां इन अल्पसंख्यको पर होने वाली हिंसा सबसे अधिक थी।

यहाँ पर भय का एक एसा वातावरण है जहां पर इन अल्पसंख्यको के विरुद्ध भड़काऊ भाषण, उनके इश्वर की निरंतर निंदा और उनके धार्मिक स्थल पर निरतंर ढंग से हमला किया जाता है। इस प्रकार का दबाव व भय निर्मित करने वाले वातावरण इन अल्पसंख्यक समुदायों को वह सुरक्षित व भयमुक्त भाव से रहने का विचार ही उनके मन मस्तिस्क में आने नहीं देता। यही करण है कि यह अल्पसंख्यक समुदाय वहां से किसी भी परिस्थिति में विस्थापित हो, किसी एसे वातावरण में रहना चाहते हैं जहां इस भय और दबाव का अभाव हो। यही कारण है जिसकी वजह से, अन्य दो देशों की तरह ही यहाँ पर भी इस देश की बढतो जनसंख्या में इन अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या में कमी ही हुयी है। वहीं पकिस्तान में एक एसे 'बहिष्कृत राष्ट्रवाद' (Exclusionary Nationalism) का विचार विकसित हुआ है जिसका प्रभाव यहाँ अल्पसंख्या में वि।मान धर्मो और उनसे सम्बंधित लोगो की दुर्दशा के सम्बन्ध में देखा सकता है।

निष्कर्षः

अंततः यदि इन अल्पसंख्यक समुदायों की पकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में स्तिथि का मूल्यांकन किया जाये और यह कहा जाए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लम्बे समय से अन्याय का दंश झेल रहे, इन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक आशा की किरण है तो इसमे कोई अतिशयोक्ति नही होगी। उत्पीडित और निराश्रितों को भारतीय नागरिक का स्थान दे भारत में अपनी प्राचीन परम्परा 'वसुध्येव कुटुम्बकम' को फिर से विश्व के सामने ला एक नया कीर्तिमान खड़ा किया है। वर्तमान में इस अधिनियम को लेकर होते वाद–विवाद के संबंध में केवल इतना ही कहना चाहेगें कि आलोचना, समालोचना से अधिक आसान होती है। भारत में पीड़ित व प्रताड़ित को स्थान देना भारतीय धर्मनिरपेक्षता का हनन नही अपितु उसकी एक व्यापक व्याख्या है जिसको इस अधिनियम क द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

♦♦♦♦♦

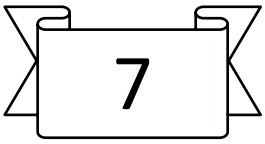

केंद्र–राज्य संबंध में टकरावः नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में

जया ओझा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय संविधान द्वारा देश में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्तियां केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित हैं। इन शक्तियों का विभाजन विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंध के रूप में किया गया है। डॉ० के० सी० व्हेयर ने संघवाद की परिभाषा देते हुए कहा कि अपने–अपने क्षेत्र में देश की सामान्य एवं क्षत्रीय सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी (फेडरल गवर्नमेंट, पृ० 97)। परंतु निश्चय ही संविधान के दैनिक कार्यों में संघीय संरचना केंद्रीकृत रूप से प्रकट होती है।

केंद्र एवं राज्यों के बीच कार्य क्षेत्र तथा शक्तियों व साधनों के विभाजन को लेकर संविधान में व्यवस्थित संवैधानिक व्यवस्था की गयी है, यद्यपि इसके अनुरूप इन व्यवस्थाओं पर अमल किया जाए तो केंद्र–राज्य के बीच संघर्ष या टकराव जैसी स्थिति कभी नही आएगी, परंतु जब से केंद्र एवं कुछ राज्यों के बीच एक दूसरे की विरोधी पार्टियां सत्ता में आई हैं तब से सरकरों के आपसी सम्बन्धों या मतभेदों का विषय किसी एक राजनीतिक दल का आंतरिक विषय न होकर वह केंद्र एवं राज्यों की सरकारों का विषय बन गया है, जिसके कारण केंद्र–राज्य संबंध में भी संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है।

ऐसा ही संघर्ष नागरिक संशोधन कानून के संदर्भ में भी देखने को मिल रहा है, कुछ राज्यों जैसे केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, एवं पंजाब आदि द्वारा इस विधेयक के विरोध में विधान सभा के अंतर्गत प्रस्ताव पास किए गए तथा कई राज्यों द्वारा इस कानून को लागू ना करने का विचार किया गया। संघीय पद्वति न केवल केंद्रीय एवं राज्यीय सरकारों के बीच अपने क्षेत्रों में शक्तियों के विभाजन का समर्थन करती है, अपितु इसके अंतर्गत राजनीतिक संगठनों के दो समुच्चयों के बीच सहयोग की भी अपेक्षा की जाती है।

केंद्र–राज्य संबंध पर संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। भारत के संघ होने पर बल देने के पीछे का आशय यह था कि यह संघटक इकाइयों के बीच किसी संविदा या समझौते की उपज नहीं है, अपितु उस संविधान सभा की घोषणा है जिसने अपना प्राधिकार भारत के लोगों से प्राप्त किया है। इसके अलावा संकल्पना का स्पष्ट उद्देश्य था की राज्यव्यवस्था के संघात्मक स्वरूप को दर्शाया जाए, परंतु उसमे राज्यों की स्थिति गौण हो एवं संरचना तथा संचालन का संतुलन संघ की सर्वोच्चता के पक्ष मे हो। इस बात को उच्चतम न्यायालय ने पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ में उचित सिद्ध किया था। राज्य पुनर्गठन समिति की एक रिपोर्ट का निष्कर्ष था किः– भारत का संघ ही हमारी राष्ट्रोयता का आधार है राज्य तो मात्र संघ के अंग हैं। जहाँ हम यह मानते है कि अंगों को सशक्त होना ही चाहिए वहाँ संघ की सशक्तता, स्थिरिता एवं संवर्धन की उसकी क्षमता ही वह तत्व है जिसे देश के सभी परिवर्तनों का नियामक आधार माना जाएगा।

संघीय एवं प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण करने वाले प्रावधान का विवरण संविधान के 11वें भाग में मिलता है, जिसका शीर्षक 'संघ एवं राज्यों के संबंध' है। यह भाग दो अध्यायों में विभाजित है, पहला–विधायी संबंध तथा दूसरा–प्रशासनिक संबंध। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है क्योंकि संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संविधान के 11वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 245–255 तक केंद्र–राज्य के बीच विधायी सम्बन्धां का उल्लेख किया गया है संविधान का अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची में शक्तियों के तीन स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, अर्थात संघ सूची (100 विषय), राज्य सूची (61 विषय), तथा समवर्ती सूची (52 विषय)।

कुछ ऐसे विषय भी हैं जो इन तीनों सूची मे नहीं है इन्हें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। जहां संघ सूची एवं राज्य सूची क्रमशः संघ एवं राज्य विधायिकाओं क विशिष्ट क्षेत्राधिकारों के विषय में है, वहीं समवर्ती सूची में अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद होने पर संघ का कानून प्रभावी होगा। यद्यपि अनुच्छेद 254 (2) क अनुसार राज्य विधायिका को संसद के वर्तमान या पुराने कानून के प्रतिकूल कानून बनाने का अधिकार है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होगी। सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है, परंतु कुछ असाधारण परिस्थियां हैं जब संसद को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है–

1. जब राज्य सभा दो–तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून का निर्माण करे,
2. राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में,
3. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने की स्थिति में,
4. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के क्रम में संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है, आदि।

परंतु संकट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य द्वारा चुनौती दी जाने लगती है। इस स्थिति में केंद्र एवं राज्य के मध्य टकराव एवं संघर्ष का जन्म होता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियमः संघीय संघर्ष

संसद द्वारा 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (2019) पारित किया गया, जिसके द्वारा सन् 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय संसद द्वारा कानून पास होते ही कुछ राजनीतिक दलों एवं राज्य सरकारों द्वारा इसका निरंतर विरोध किया जा रहा है। यह विरोध कई बार हिंसा में भी परिवर्तित होता रहा है। यह विरोध भारतीय गणतन्त्र तथा संवैधानिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है।

यह कानून मुख्य रूप से तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करन का प्रावधान करता है। परंतु विपक्षी इसके विरोध में यह तर्क देते हैं की यह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है तथा यह धार्मिक भेदभाव पर आधारित कानून है। इसके साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 तथा 26 का हनन करता है। कई राज्यों जैसे केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार द्वारा इस विधेयक को अपने राज्यों में लागू करने से मना कर दिया गया। पंजाब से पहले केरल पहला ऐसा राज्य था जिसने इस संशोधित विधेयक के विरुद्ध विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया (इस प्रस्ताव में कहा कि संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम ने समाज के विभिन्न वर्गों को भयाक्रांत करने का काम किया है) तथा सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 131 के प्रावधानों के अंतर्गत एक याचिका दायर

की। केरल सरकार द्वारा इस याचिका में कहा गया कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 21 तथा 25 के प्रावधानों के विरुद्ध है। परिणामस्वरूप इस कानून को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। पंजाब विधान सभा ने भी प्रस्ताव पारित कर कहा कि सी.ए.ए ने देश में व्यापक तनाव एवं सामाजिक असंतोष पैदा किया है।

राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कानून को लागू न करने की स्थिति में केंद्र के पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति प्राप्त है कि राज्य उनके कानूनों को लागू करे, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को लागू करने के संदर्भ में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। यदि राज्य निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो केंद्र कानून के अनुपालन के लिए न्यायालय जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को कानून का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सके। परंतु यह प्रक्रिया जितनी सरल या सहज दिखती है उतनी है नहीं, इस प्रक्रिया से न केवल भारतीय राजनीति पर असर पड़ेगा अपितु यह केंद्र राज्य का संबंध इससे और भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए केंद्र–राज्य समुच्चयों से यह अपेक्षा की जाती है की दोनों समन्वय की धारणा को अपनाते हुए भारतीय संघीय व्यवस्था का पालन करेंगी।

♦♦♦♦♦

8

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के उपरिकेंद्र के रूप में असम

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

नागरिकता संशोधन कानून सी.ए.ए के प्रति विरोध प्रदर्शन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों कारणों से हो रहा है। एक ओर इस कानून को धार्मिक भेदभाव पर आधारित एवं असंवैधानिक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में इस कानून को सांस्कृतिक पहचान हेतु संकटपूर्ण माना जा रहा है। परन्तु धीरे–धीरे इस कानून का विरोध असम में स्थानांतरित हो गया और यह विरोध इतना भीषण हो गया कि इसने 1980 के दशक की विदेशी–विरोधी भावना को पुनः जाग्रत कर दिया। यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई अप्रवासियों के लिए अवैध अप्रवासी की परिभाषा में संशोधन करना चाहता है। जो भारत में बिना प्रलेखन के रहते हैं। उन्हें 6 वर्ष में फास्ट ट्रैक भारतोय नागरिकता दी जाएगी।

यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए विवश थे। इस कानून का उद्देश्य ऐसे उत्पीड़ित लोगों को अवैध प्रवास की कार्यवाही से सुरक्षित करना है। नागरिकता के लिए कट–ऑफ की दिनांक 31 दिसंबर, 2014 निर्धारित है। जिसका अर्थ है कि आवेदक इस दिनांक को अथवा इससे पूर्व भारत में प्रवेश कर चुका हो। भारतीय नागरिकता, वर्तमान कानून के अंतर्गत, या तो भारत में जन्मे व्यक्तियों को दी जाती है या देश में न्यूनतम 11 वर्षों तक किसी व्यक्ति के निवास के आधार पर दी जाती है।

असम में सी.ए.ए विरोध का मुख्य कारण

1. बंगाली भाषी वर्चस्व वाली बराक घाटी के अतिरिक्त, अन्य भागों में लोगों को भय है कि सी. ए.ए बांग्लादेश से आये लाखों हिंदू स्वदेशी समुदायों को नष्ट कर देंगे, संसाधनों पर बोझ आ जाएगा और उनकी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर संकट उत्पन्न होगा।
2. सी.ए.ए की 2014 की कट–ऑफ की दिनांक के लिए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि असम ने 1951 से 1971 तक अप्रवासियों के कारण उत्पन्न हुए दुष्प्रभावों को सहन किया है, जबकि

अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया। अतः अब राज्य पर अधिक बोझ बढ़ाना व आरोप लगाना अनुचित है।

3. 1979 में मंगलदोई के लोकसभा उपचुनावों में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि से यह संदेह उत्पन्न हुआ कि यह अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अन्तर्वाह के कारण था। परिणामस्वरूप उस समय बड़े पैमाने पर हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। जिसके पश्चात 1985 में असम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद यह हिंसा समाप्त हो गई। असम के प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से इस कानून सी.ए.ए को असम अनुबंध का उल्लंघन बताया है।
4. असम अनुबंध के अंतर्गत विदेशियों की पहचान करने व उनके निर्वासन की दिनांक 25 मार्च 1971 निर्धारित की गयी। जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 1951 थी। परन्तु सी.ए.ए में अब 2014 की नई कट–ऑफ दिनांक है। जिस कारण इस कानून को असम अनुबंध का उल्लंघन माना जा रहा है।
5. इसके अतिरिक्त विदेशियों की पहचान और निर्वासन करने के लिए *द नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी)* असम अनुबंध में किया गया एक अन्य वादा था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सी.ए.ए एनआरसी को गैरकानूनी प्रवासियों पर निरर्थक और सर्वश्रेष्ठ नागरिकता देगा। हालांकि असोम गण परिषद का कहना है कि असम अनुबंध के क्लॉज 6 में सीएबी के प्रतिकूल प्रभाव से असम का अपमान होगा।
6. *इनर लाइन परमिट (आईएलपी),* बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए प्रारम्भ की गई प्रणाली है। जिसके अंतर्गत घोषित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोग केवल परमिट होने पर ही स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। वे आईएलपी के साथ भी घोषित क्षेत्रों में बस नहीं सकते। परन्तु प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब इस व्यवस्था का उपयोग कुछ क्षेत्रों को सी.ए.ए के दायरे से बचाने के लिए किया जा रहा है।

सी.ए.ए एवं असम : प्रवाद एवं विभ्रांति

सी.ए.ए के प्रति यह विरोध केवल पहचान एवं संस्कृति को खो देने या अनुबंध के उल्लंघन के भय से नहीं है। इस कानून के प्रति प्रारम्भ से ही बहुत सी भ्रांतियां रही है जिस कारण लोगों में क्रोध बढ़ा। यदि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह विद्रोह मुख्यतः भ्रान्ति के आधार पर उत्पन्न किया गया। विद्रोह की शुरुआत में कुछ लोगा का कहना था कि सी.ए.ए के माध्यम से करोडों की संख्या में अप्रवासी उनके राज्य में आएंगे जिस कारण उनकी नौकरियों एवं सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ेगा। परन्तु असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे भ्रामक बताते

हुए कहा है कि कुछ विध्वंसक तत्वों द्वारा सी.ए.ए पर गलत कथन से असम में हिंसा हुई है। असम सरकार का कहना है कि यह एक नकली प्रोपगंडा है जिसके द्वारा यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि सी.ए.ए बांग्लादेश में वर्तमान में रह रहे है। 1.5 करोड़ हिंदुओं को नागरिकता प्रदान करेगा, जिसको रोकने के लिए सरकार द्वारा असम में इंटरनेट सुविधाओं को बंद कराया गया।

इसके अतिरिक्त असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस अधिनियम से केवल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बचे अधिकांश 5.2 लाख हिंदू बांग्लादेशियों को ही लाभ होगा। जिसके आधार पर वास्तविक संख्या को सरकार द्वारा सामने रखा गया। जिसके साथ ही असम सरकार ने लोगों के भय को ध्यान में रखते हुए सी.ए.ए से सम्बंधित कानून के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा।

क्या सी.ए.ए 2019 असम को भौगोलिक रूप से प्रभावित करेगा?

एक बात ध्यान देने वाली है कि पिछले 100 वर्षों में (दो पीढ़ी से कम समय में) असम के स्वदेशी लोग राज्य के कई जिलों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। इसी भावना के साथ ये लोग सी. ए.ए के विरोध में खड़े हैं। वे अपनी सदियों पुरानी मातृभूमि में अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। परन्तु यह बात भी सत्य है कि सी.ए.ए का असम की जनसांख्यिकीय संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़गा जिनके कारण निम्नलिखित हैं:

1. जिन करोड़ संख्या की बात की जा रही है वह मात्र संख्या 5 लाख है और 1901 के असम के धर्म आधृत जनसंख्या की प्रवृत्ति के जनगणना–आधारित विश्लेषण से भी यही पता चलता है कि 1951 के बाद असम में कुल प्रवासियों में से लगभग 10–15 प्रतिशत ही हिंदू बांग्लादेशी हैं।
2. जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण असम के विभिन्न जिलों में पाए गए स्थानीय अनुभवों द्वारा समर्थित है। असम के सभी जिलों में, 1971 के बाद बंगाली हिंदू गाँव या तो सांख्यिकीय रूप से स्थिर हैं या कम हो गए हैं।
3. प्रदर्शनकारी नेताओं का दावा है कि 1.9 करोड़ से 2.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेशी असम आएंगे। यह साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। वास्तव में, वर्तमान में बांग्लादेश में कुल हिंदू आबादी 1.4 करोड़ है, जो आंदोलन करने वाले नेताओं की परियोजना असम की तुलना में बहुत कम है।

सी.ए.ए कि विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं? इसमं तीन प्रकार कि लोग शामिल हैं:–

1. प्रदर्शनकारियों का एक समूह स्वदेशी असमी है जो कोई भी बांग्लादेशी अप्रवासी, हिंदू या मुसलमान नहीं चाहते हैं। वे राज्य के जनसांख्यिकीय, सामाजिक–सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना के परिवर्तन को लेकर किसी भी प्रकार का कानून नहीं चाहते।
2. उदार बुद्धिजीवियों का एक समूह जो अप्रवासियों के धर्म के अनुसार चयनात्मक विरोध करता है। जिनका मानना है कि हिंदू बांग्लादेशी विदेशी भाषा संरचना को बदल देंगे, लेकिन मुस्लिम बांग्लादेशी विदेशी असमी भाषा की रक्षा करेंगे। यह समूह इस सिद्धांत का प्रचार कर रहा है कि 1.9 करोड़ (कुछ संख्या 2.5 करोड़) हिंदू बांग्लादेशी असम आएंगे और असमी पहचान मिटा देंगे।
3. एक अन्य समूह जो मुस्लिम अप्रवासियों को स्वीकार किए जाने पर सी.ए.ए को स्वीकार करने में प्रसन्न है।

अंततः अंतिम दो समूह सी.ए.ए. के विरूद्ध तीव्र आंदोलन करने के लिए पहले समूह की भावनाओं का उपयोग कर रहे हैं। अंतिम दो स्वरों को पहले स्वर के साथ मिलाया गया है, जिससे सी.ए.ए का विरोध तीव्र हो गया है।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281